संख्या– 114 /70–4–2011–46(27)/2010

प्रेषक,

अनिता मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

325
19 MAY 2011

उच्च शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊ दिनांक: 19 जनवरी, 2011

विषय:–विश्वविद्यालयों के लिये संचालित सेन्टर आफ एक्सीलेंस योजना के दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालयों के लिये सेन्टर आफ एक्सीलेंस योजना के दिशा–निर्देश संलग्न कर प्रेषित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है। कृपया योजनान्तर्गत प्रस्तावों के सम्बन्ध में तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीया,
(अनिता मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या–114 (1)/70–4–2011–तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ।
2– निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–11.
4– गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(सरोज कुमार यादव)
अनु सचिव।

Ic DTP
Pl. upload on university website and e-mail to all faculty member / HOD / Deans.
16/05
Reg

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों

में सेन्टर आफ एक्सीलेंस

योजना के

दिशा निर्देश

उच्च शिक्षा विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग

सेन्टर आफ एक्सीलेन्स योजना नियमावली

1. यह नियमावली सेन्टर आफ एक्सीलेन्स योजना नियमावली कही जायेगी तथा केवल राज्य विश्वविद्यालयों में लागू होगी।

उद्देश्य : योजना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय के चयनित विभाग/विभागों को सेन्टर आफ एक्सीलेन्स के रूप में विकसित किया जाना है ताकि वह विभाग अपने उत्कृष्टतम रूप में विकसित होकर कार्य कर सकें। इसके अन्य उद्देश्य निम्नवत है :-

(1) चिन्हित थस्ट एरियाज (Thrust areas) में शैक्षिक गुणवत्ता स्थापित करना।

(2) शोध निष्कर्षों/उत्पादों का समाज एवं राष्ट्र के विकास हेतु प्रयोग/उपभोग।

(3) नवीन Generic Areas की खोज, प्रोत्साहन एवं पोषण, विश्वविद्यालयों के शोध संस्थाओं यथा DST, CSIR, DRDO, DBT, UGC, ICHR, ICPR, ICSSR, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार, Archeological Survey of India आदि से सम्पर्क कर प्राप्त सहायता को विश्वविद्यालय के शोध कार्यों हेतु प्रयोग किया जाना।

(4) विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग में उत्कृष्टता प्राप्त होने के पश्चात इस विभाग में शोध परक कार्यों, विज्ञान के क्षेत्र में उपकरण/लैब आदि जो स्थापित होगी, उसे अन्य विश्वविद्यालयों के छात्रों/शिक्षकों द्वारा उपयोग किया जाना।

(5) विश्वविद्यालय के उत्कृष्टता प्राप्त विभाग/विभागों द्वारा अपने से सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं अन्य राज्य विश्वविद्यालयों को भी मार्ग दर्शन/सहायता प्रदान किया जाना।

2–<u>आवेदन की प्रकिया</u>

(1) सेन्टर आफ एक्सीलेन्स योजनान्तर्गत आवेदन पत्र/प्रस्ताव प्रत्येक वर्ष 31 मई तक राज्य सरकार/उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे। उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा माह 30 जून के अन्दर प्रस्तावों के बारे में पैनल की संस्तुति शासन को भेजी जायेगी।

(2) सेन्टर आफ एक्सीलेन्स योजनान्तर्गत प्रस्ताव कुलपति के अनुमोदन से भेजे जायेंगे। कुलसचिव द्वारा अग्रसारित पत्र में यह उल्लेख किया जायेगा कि सम्बन्धित प्रस्तावों को भेजे जाने के सम्बन्ध में कुलपति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

(3) विश्वविद्यालयों के विभागाध्यक्षों द्वारा शासन को सीधे प्रस्ताव नहीं भेजे जायेंगे। यदि प्रस्ताव भेजे जाते है तो वे ग्राहय नहीं होंगे।

(4) एक विश्वविद्यालय द्वारा अधिकतम दो विभागों के प्रस्ताव योजनान्तर्गत भेजे जा सकते है। यदि इससे अधिक प्रस्ताव प्राप्त होते है तो कुलपति द्वारा प्राथमिकता तय करके भेजे जायेंगे, ताकि उन्ही प्रस्तावों पर विचार किया जा सके।

(5) प्राप्त प्रस्तावों को उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा प्रस्तर–4 के अनुसार गठित पैनल के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत किया जायेगा। पैनल द्वारा राष्ट्रीय एवं वैश्विक प्राथमिकताओं के दृष्टिगत थ्रस्ट एरियाज का चिन्हीकरण किया जायेगा। पैनल द्वारा प्रस्तावों पर विचार करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि कुल अर्ह पाये गये प्रस्तावों में 50 प्रतिशत प्रस्ताव विज्ञान वर्ग के अवश्य हों। उचित पाये गये प्रस्तावों के संबंध में पैनल द्वारा वित्तीय सहायता की धनराशि को अंकित करते हुए अपनी संस्तुति दी जायेगी जिसे अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा शासन को अग्रसारित किया जायेगा।

3–<u>पात्रता</u>

(1) राज्य सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय इस योजना के अन्तर्गत सहायता पाने के लिये अर्ह होंगे।

(2) योजनान्तर्गत वही प्रस्ताव अनुमन्य होंगे जो अनुसंधान/शोध कार्यो/शिक्षण एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सीधा सुधार कर सके तथा शैक्षणिक तकनीक एवं बेहतर पाठ्यचर्या द्वारा शिक्षण के स्तर में तथा अध्ययनरत छात्रों द्वारा उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धि प्राप्त करने में सीधे प्रभावकारी हों।

(3) शोध एवं अनुसंधान हेतु वित्त पोषण उन्हीं विभागों के लिये किया जायेगा जो यू0जी0सी0 द्वारा विशेष सहायता के लिये चिहिन्त हों तथा उन्हें यू0जी0सी0/डी0एस0टी0/डी0वी0टी0 या ऐसी दो अन्य शैक्षणिक केन्द्रीय संस्था/विभाग से न्यूनतम दो वर्ष वित्त पोषण प्राप्त हुआ हो।

(4) विश्वविद्यालय के प्रतिभाशाली छात्रों में उत्कृष्ट शैक्षिक स्तर विकसित करने के प्रयासों को सुदृढ़ करना, इन प्रयासों के फलस्वरूप यू0जी0सी0 की गाइड लाइन के अनुसार नेट/गेट/जी0एम0ए0टी0/आई0ए0एस0/राष्ट्रीय स्तर की आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि, जिससे स्पष्ट परिणामी लाभ दृष्टिगोचर हो।

(5) बेहतर पाठ्यचर्या तथा शैक्षणिक तकनीक में सुधार के लिये कोई अभिनव प्रयास, राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय सहयोग जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर में सीधा सुधार संभावित हो।

(6) एक विश्वविद्यालय को एक अथवा अधिकतम 2 विभागों को जिसमें उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकसित होने की क्षमता हो, को सहायता दी जायेगी।

(7) योजना के अन्तर्गत आवेदन करने वाले विभागों में से उन विभागों को प्राथमिकता दी जायेगी जिनमें पर्याप्त संख्या में शैक्षणिक स्टाफ तथा शैक्षणिक सुविधायें एवं पर्याप्त संसाधन व शोध/अनुसंधान की सभी आधारभूत सुविधायें उपलब्ध हो।

(8) इस योजना से विभागीय पुस्तकालय, आधुनिक शिक्षण तकनीक से युक्त शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला के उपकरण व अन्य सुविधायें जिससे इन विभागों के स्तर में गुणात्मक सुधार करके सेन्टर आफ एक्सीलेनस के रूप में विकसित किया जा सके, के लिए भी धनराशि दी जायेगी। उक्त सुविधायें प्रोजेक्ट का पार्ट मानी जायेगी।

(9) इस मद में प्राविधानित धनराशि से मूलतः पूँजीगत कार्यों के लिये वित्त पोषण नहीं किया जायेगा अर्थात मरम्मत/निर्माण सम्बन्धी कार्य अनुमन्य नहीं होगे।

(10) योजना केवल नियमित पाठ्यक्रमों के लिये अनुमन्य होगी। स्ववित्त पोषित योजना के पाठ्यक्रमों के लिये इस योजनान्तर्गत वित्त पोषण नहीं किया जायेगा।

4–<u>अनुमोदन की प्रकिया</u>

(1) विश्वविद्यालयों द्वारा योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों पर विशेषज्ञ पैनल द्वारा विचार किया जायेगा। विशेषज्ञ पैनल द्वारा नियमावली में उल्लिखित पात्रता के अनुसार राष्ट्रीय एवं वैश्विक प्राथमिकताओं के दृष्टिगत थ्रस्ट एरियाज का चिन्हिकरण किया जायेगा। उचित पाये गये प्रस्तावों के संबंध में पैनल द्वारा प्रस्ताव तथा वित्तीय सहायता की धनराशि के बारे में अपनी संस्तुति दी जायेगी।

(2) प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिये राज्य सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ पैनल बनाया जायेगा जिसमें विभिन्न विषयों/क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त सेवानिवृत्त/शिक्षकों/शिक्षाविद/तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। इस विशेषज्ञ पैनल के साथ संयोजक का कार्य अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उन्हीं के स्तर से बैठक बुलाने आदि की कार्यवाही की जायेगी तथा इस सम्बन्ध में नियमानुसार होने वाले व्यय आदि का भुगतान उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा अपने बजट के माध्यम से किया जायेगा।

(3) पैनल यदि आवश्यक समझे तो आवश्यकतानुसार प्रस्ताव से सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षाविद को प्रस्ताव के **Presentation** हेतु बुलाया जा सकता है।

(4) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा बैठक की कार्यवाही की मूलप्रति सहित प्रस्ताव (मूलरूप में) शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(5) अपर उच्च शिक्षा परिषद् से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में शासन द्वारा विचार किया जायेगा तथा प्रस्तावों की प्रकृति व धनराशि की उपलब्धता के दृष्टिगत सहायता/स्वीकृति प्रदान की जायेगी। किसी प्रस्ताव के लिये पैनल द्वारा संस्तुत

धनराशि को उसके गुणावगुण के आधार के शासन द्वारा उसे कम या ज्यादा की जा सकती है।

(6) यदि इस नियमावली के लागू होने के पूर्व विश्वविद्यालय के जिस विभाग को योजनान्तर्गत शासन द्वारा सहायता दी गई है, उन्हे आगामी वर्ष में विभाग द्वारा प्रोजेक्ट के बारे में उपलब्ध प्रगति/परफारमेन्स रिपोर्ट तथा उपभोग की स्थिति को देख करके शासन स्तर से धनराशि दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी। ऐसे मामलों को प्रस्तर–4 के अनुसार गठित विशेषज्ञ पैनल द्वारा विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु उनके कार्य की प्रगति, परफारमेन्स, आदि की समीक्षा विश्वविद्यालय स्तर पर गठित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति द्वारा की जायेगी और शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

(7) किसी भी विश्वविद्यालय के जिन दो विभागों को योजनान्तर्गत वित्त पोषित किया जायेगा, अन्य विश्वविद्यालयों में उस विभाग को योजनान्तर्गत धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

5. <u>अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति</u>

(1) सेन्टर आफ एक्सीलेन्स योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रस्तावों के संबंध में कार्य की प्रगति प्रदर्शन, उपलब्धियों, व्यय आदि की समीक्षा विश्वविद्यालय स्तर पर निम्नवत् गठित समिति द्वारा की जायेगी। :–

1. कुलपति	–	अध्यक्ष
2. संबंधित विभागाध्यक्ष / संकायाध्यक्ष	–	सदस्य
3. प्रस्ताव से संबंधित प्रोफेसर/शिक्षाविद	–	सदस्य
4. कुलसचिव	–	सदस्य
5. वित्त अधिकारी	–	सदस्य संयोजक

(2) उक्त समिति द्वारा 06 माह में कार्य के परफारमेन्स की समीक्षा की जायेगी तथा अपनी रिपोर्ट 06 माह की समाप्ति के बाद अगले माह की 10 तारीख तक शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। रिपोर्ट में कार्य की प्रगति के बारे में स्थिति के साथ ही उपलब्धियों, स्टाफ, धनराशि के व्यय व उपयोग आदि की भी सूचना दी जायेगी। समिति द्वारा शिक्षण, शोध, सहयोग, विस्तार, भविष्य के कार्य, उपकरणों की उपलब्धता एवं उसके संचालन पर होने वाले व्यय आदि की भी मॉनीटरिंग की जायेगी।

(3) यदि उक्त समिति द्वारा समीक्षा के उपरान्त यह पाया जाता है कि योजना सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है और उससे अपेक्षित परिणामी लाभ मिलने की संभावना नहीं है तो समिति द्वारा शासन को तदनुसार सूचित किया जायेगा। शासन स्तर से

Amisn

प्रोजेक्ट को भविष्य में धनराशि स्वीकृति करने/ न करने अथवा सहायता बंद करने के बारे में निर्णय किया जायेगा। शासन द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

(4) योजनान्तर्गत उपकरणों के लिये दी गई धनराशि से उपकरणों का क्रय नियमानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(5) योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि से जो भी उपकरण/यंत्र/सामान क्रय किये जायेंगे, वे राज्य सरकार की सम्पत्ति माने जायेंगे। उसका पूर्ण विवरण विश्वविद्यालय एवं सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा रखा जायेगा तथा आवश्यता पड़ने पर प्रस्तुत किया जायेगा।

(6) बैठक के आयोजन आदि पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा।

(7) विश्वविद्यालय के सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय का पूरा विवरण रखा जायेगा जिसे अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति की समय-समय पर आयोजित बैठकों में प्रस्तुत किया जायेगा।

6. शासन स्तर पर समीक्षा

(1) विश्वविद्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रोजेक्ट्स के सम्बन्ध में विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट दो प्रतियों में शासन को भेजी जायेगी जिसमें प्रोजेक्ट्स से सम्बन्धित सभी विवरण विस्तार से अंकित किये जायेंगे।

(2) सेन्टर आफ एक्सीलेन्स योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रस्तावों जिन्हे कार्य करते हुए एक वर्ष से अधिक का समय हो गया हो, की समीक्षा शासन स्तर पर की जा सकेगी। इसके लिये आवश्यकता होने पर शासन योजना से संबंधित दो या तीन विषय विशेषज्ञ नामित कर सकता है। परिणामी लाभों के प्रदर्शन हेतु प्रजेन्टेशन भी कराया जा सकता है।

(3) योजना के अन्त में विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई फाइनल रिपोर्ट, शैक्षणिक एवं शोध उपलब्धियों, आधारभूत सुविधाओं, अनुदान राशि के उपभोग, अपेक्षित परिणामी लाभों की प्राप्ति के आधार पर सम्पूर्ण प्रगति का मूल्यांकन किया जायेगा।

(4) राज्य सरकार द्वारा शासन के अधिकारी अथवा नामित अधिकारी से योजना का स्थलीय निरीक्षण व भौतिक सत्यापन कराते हुए समय-समय पर मूल्यांकन कराया जा सकता है।

Amisra

(अनिता मिश्र)
विशेष सचिव।